कार्यालय नगरपालिका मण्डल नीमकाथाना (सीकर)
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.09.2015 को प्रातः 11.00 बजे से नीमकाथाना नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष श्री त्रिलोक दीवान की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गयी। जिसमें निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित रहे :–

1	माननीय श्रीमान् त्रिलोक दीवान	अध्यक्ष
2	'' '' राजेन्द्र कुमार	उपाध्यक्ष
3	'' श्रीमति विधा	सदस्या
4	'' श्रीमान् महेन्द्र	सदस्य
5	'' श्रीमती कमला	सदस्या
6	'' '' अणची	सदस्या
7	'' श्रीमान् हीमेश कुमार	सदस्य
8	'' '' रतन	''
9	'' श्रीमती सन्तोष	सदस्या
10	'' श्रीमान् जयप्रकाश	सदस्य
11	'' '' रूड़मल	''
12	'' '' लेखराज	''
13	'' श्रीमति अंजु देवी	सदस्या
14	'' श्रीमान् रमेश	सदस्य
15	'' '' जयचन्द	''
16	'' '' छगनलाल	''
17	'' '' बाबूलाल	''
18	'' '' शम्भूदयाल	''
19	'' श्रीमती विद्या	सदस्या
20	'' श्रीमान् शशिकान्त	सदस्य
21	'' '' गिगाराम	''
22	'' श्रीमति तीजा देवी	सदस्या
24	'' श्रीमान् होशियारसिंह	सदस्य
25	'' श्रीमान् गिरधारी	''
26	'' श्रीमती मोनू	सदस्या

गणपूर्ति पश्चात बैठक आरम्भ की गयी। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जो निम्नानुसार रहीः–

प्र. सं. 1:– पानी/बिजली एनओसी हेतु शुल्क निर्धारण पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों को बताया कि नगरपालिका मण्डल की पूर्व में आयोजित बैठक में आम नागरिकों द्वारा बिजली/पानी हेतु एनओसी लिये जाने पर एनओसी जारी करने हेतु अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया था, उक्त एनओसी हेतु पालिका मण्डल द्वारा कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्य व केन्द्र सरकार से कुछ योजनाओं में मिलने वाली राशि हेतु, सिवरेज आदि योजनाऐं लागू करने हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए पालिका की स्वयं के साधनों से अधिक से अधिक आय अर्जित किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में उक्त जारी होने वाली एनओसी पर शुल्क निर्धारण किया जाना उचित होगा। इस पर श्री महेन्द्र गोयल ने पूछा कि कितना शुल्क निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर श्री शम्भूदयाल, सदस्य ने बताया कि 300/–रू0 शुल्क निर्धारित किया जाना उचित होगा।

इस पर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि आवेदक किरायेदार है तथा एनओसी चाहता है, तो मकान मालिक से किरायेदार द्वारा विधिवत एनओसी प्राप्त करनी होगी, इसके अलावा एनओसी हेतु आवेदक को उक्त एनओसी मात्र पानी/बिजली कनेक्शन लिये जाने हेतु मान्य होने व एनओसी को अन्य कानूनी वाद या मिल्कियत सबूत के लिए काम में नहीं लिये जाने के संबंध में 10/– रू0 के स्टाम्प पर नोटेरीशुदा शपथ पत्र संलग्न करना होगा। तत्पश्चात् संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा एनओसी पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् आवेदक द्वारा नगरपालिका कार्यालय से 300/– रू0 की रसीद कटवायी जावेगी तथा नगरपालिका कार्यालय में उक्त शपथ पत्र सुरक्षित रखना होगा तत्पश्चात् अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय/अधिशाषी अधिकारी द्वारा एनओसी पर हस्ताक्षर किये जावेंगे।

प्र.सं. 02 :– खेतड़ी रोड़ पर यात्रियों हेतु शैड निर्माण पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि खेतड़ी मोड़ के पास खेतड़ी रोड़ पर यात्रियों द्वारा बसों का इन्तजार किये जाने के दौरान खुले में धूप, बारिश में खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए उक्त स्थान पर यात्रियों के लिए शैड निर्माण किया जाना उचित होगा। अतः मण्डल के निर्णय हेतु पेश है।

इस पर श्री जयप्रकाश, सदस्य ने बताया कि उक्त स्थान के साथ साथ गांवड़ी मोड़ पर तथा छावनी स्टेण्ड पर भी यात्रियों हेतु शैड निर्माण करवाया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि खेतड़ी मोड़ के पास खेतड़ी रोड़ पर, गांवड़ी मोड़ पर तथा छावनी स्टेण्ड पर यात्रियों के लिए शैड निर्माण करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा उक्त कार्य पर व्यय होने वाली समस्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्र.सं. 03:– मास्टर प्लान में संशोधन पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका नीमकाथाना के लिए लागू किये गये मास्टर प्लान में नगर नियोजन विभाग द्वारा मास्टर प्लान तैयार करते समय बिना भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये मास्टर प्लान तैयार किया जाकर लागू करवाया गया है। उदाहरणतः मास्टर प्लान में जहां पर मास्टर प्लान बनाते समय लोग पक्के मकान बना कर निवास कर रहे थे तथा जो मकान पट्टेशुदा हैं, उनके उपर से भी चौड़े–चौड़े रास्ते (लगभग 60 फिट चौड़ाई का) प्रस्तावित कर दिया गया है, स्कूल, अन्य सुविधायें, पार्क, आदि दर्शित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार रेल्वे फाटक से पुलिस थाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर पालिका द्वारा कुछ मकानों के 30 फिट रोड़ के आधार पर पट्टे दिये हुये हैं, वहां पर भी मास्टर प्लान में 60 फिट चौड़ाई की रोड़ प्रस्तावित कर दी गयी है, इस कारण से अब मास्टर प्लान अनुसार कार्यवाही करने के कारण से बिल्डिंग लाईन भी प्रभावित होगी। इसी प्रकार से जो जमीन पालिका क्षैत्र से बाहर है, उसको पालिका क्षैत्र में दर्शित कर दिया गया है तथा जहां पर खातेदारी में आमजन की कृषि भूमि स्थित है, वहां पर जोहड़ दर्शित कर दिया गया है। इसी प्रकार 17.06.1999 से पूर्व की स्थित कॉलोनियों के ले आउट प्लान तैयार करवाये गये थे, उनमें कुछ जगहों पर भूखण्डों/प्लॉटों को ले आउट प्लान में शामिल नहीं किया गया। अतः ऐसी कॉलोनियों के प्लान भी बनवाये जाने उचित होंगे।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि मास्टर प्लान में संशोधन की कार्यवाही करवायी जावे, समस्त प्रकरणों में नगर नियोजन विभाग की राय लेकर प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे तथा राज्य सरकार से सभी मण्डल सदस्यों की तरफ से निवेदन करते हुये मास्टर प्लान में वास्तविकता के अनुसार व्यावहारिक संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण भिजवाया जावे। यदि फिर भी मास्टर प्लान में संशोधन नहीं होता है, तो मा0 राज0 उच्च न्यायालय में प्रकरण पेश किया जावे। इसी के साथ जिन 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में जो भूखण्ड/प्लॉट ले आउट प्लान में शामिल होने से शेष रह गये हैं, उनके ले आउट प्लान तैयार करवाये जाकर नगर नियोजन विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाये जावें।

प्र.सं. 04:– अध्यक्ष द्वारा अवकाश हेतु व अवकाश अवधि में चार्ज दिये जाने संबंधी पत्र पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मुझे निजी कार्यवश विदेश जाना है। जिसके लिए दिनांक 27.09.2015 से 13.10.2015 तक अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में अध्यक्ष पद का कार्यभार उपाध्यक्ष महोदय को दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण मण्डल के समक्ष पेश है।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय का दिनांक 27.09.2015 से दिनांक 13.10.2015 तक का अवकाश स्वीकृत किया गया तथा उक्त अवधि दौरान अध्यक्ष पद का समस्त कार्य उपाध्यक्ष महोदय श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा संपादित किये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्र.सं. 05:– पालिका द्वारा आवंटित कियोस्कों की अवधि पूर्ण होने पर इनके संबंध में विचार।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि पालिका द्वारा कई वर्षों पूर्व लोगों को कियोस्क आवंटित किये गये थे। उक्त कियोस्क 10 वर्षों के लिए आवंटित किये गये थे, जिनमें से लगभग सभी कियोस्कों की आवंटित अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः इनके संबंध में मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना उचित होगा।

इस पर श्री हीमेश भटनागर ने बताया कि बाजार में चाट, ज्यूस ठेलाधारकों द्वारा ड्रम नहीं रखे जाकर कचरा रोड़ पर डाल दिया जाता है। जिस कारण से काफी गंदगी हो जाती है। अतः ऐसे रेहड़ी/ठेला धारकों द्वारा ड्रम नहीं रखे जाने पर उनकी पालिका से रसीद जारी नहीं की जावे तथा उनको हटाने की कार्यवाही की जावे।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि जिन जिन लोगों को कियोस्क आवंटित किये गये थे, उनकी समस्त की सूची उक्त बैठक की कार्यवाही के साथ सभी मण्डल सदस्यों को भिजवायी जावे तत्पश्चात् प्रकरण आगामी मण्डल बैठक में रखा जावे।

प्र.सं. 06:– पालिका क्षैत्र में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक वृत नीमकाथाना द्वारा पालिका क्षैत्र में मुख्य–मुख्य 05 स्थानों पर पालिका की तरफ से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा विधायक महोदय को विधायक निधी से सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने हेतु राशि उपलब्ध करवाये जाने का नियम बनाया गया है। अतः इस संबंध में सांसद महोदय तथा विधायक महोदय से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने हेतु राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु तथा गांवड़ी मोड़ रैस्ट हाउस से सिरोही नदी तक रोड़ को चौड़ा किया जाकर डिवाईडर लगवाये जाने हेतु निवेदन किया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सांसद महोदय तथा विधायक महोदय से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने हेतु राशि उपलब्ध करवाये जाने तथा गांवड़ी मोड़ रैस्ट हाउस से सिरोही नदी तक रोड़ को चौड़ा किया जाकर डिवाईडर लगवाये जाने हेतु निवेदन किया जावे।

प्र.सं. 07:– वार्ड नं. 13 में राम मन्दिर के पास स्थित सूखे कुऐं तथा उसके आसपास स्थित चबूतरानुमा जगह को हटाने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि पार्षद महोदय वार्ड नं. 13 व 15 तथा आमजनों द्वारा वार्ड नं. 13 में राम मन्दिर के पास शहीद जेपी यादव राजकीय विधालय के पूर्व दिशा में स्थित सूखे कुऐं तथा उसके आसपास स्थित चबूतरानुमा जगह को हटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें पालिका मण्डल की कार्यपालक समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में पालिका द्वारा अखबार में आपत्ति सूचना जारी की गयी थी। जिसके क्रम में पालिका में आपत्ति प्राप्त हुयी। तत्पश्चात् पालिका द्वारा आपत्तिकर्ता को नोटिस जारी किया जाकर मिल्कियत सबूत चाहे गये थे। लेकिन आपत्तिकर्ता द्वारा कोई भी मिल्कियत सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त प्रकरण निर्णय हेतु मण्डल के समक्ष पेश है।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि उक्त प्रकरण में पालिका में उपलब्ध सिटी सर्वे रिकॉर्ड से जांच की जावे कि उक्त संपति किसकी है। तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

इसके उपरान्त मण्डल सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया गया, कि उक्त प्रस्तावों के अलावा अन्य कुछ विचारणीय बिन्दू हैं, जिनमें मण्डल बैठक में चर्चा होना आवश्यक है। अतः मण्डल बैठक में चर्चा हेतु आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। इस पर समस्त सदस्यों द्वारा निवेदन करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य प्रस्ताव मण्डल बैठक में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् निम्न एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया :–

अन्य प्र.सं. 01:– वार्ड नं. 06 में स्थित शिव सत्संग स्थल पर साफ सफाई के संबंध में विचार।

श्री महेन्द्र गोयल, नेता विपक्ष ने बताया कि वार्ड नं. 06 में स्थित शिव सत्संग भवन के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रकरण लंबित है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्टेटस को रखे जाने का आदेश दिया हुआ है। जिसके अनुसार उक्त स्थल पर कोई भी निर्माण नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन उक्त स्थल पर काफी झाड़ झंकाड़, कचरा आदि हो गया है, जिस कारण से जहरीले जानवर रहने लग गये हैं। जबकि उक्त स्थल पर काफी तादाद में लोग पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। जिससे लोगों में उक्त जानवरों का भय व्याप्त रहता है। इसलिए उक्त स्थल की साफ सफाई करवायी जानी उचित होगी। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा भी समर्थन किया गया।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि उक्त स्थल परिसर की साफ सफाई करवायी जावे। इस पर अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विधि सलाहकार की राय ली जाकर साफ सफाई की कार्यवाही की जावेगी।

अन्य प्र.सं. 02:– वार्ड नं. 16 में गंदे पानी के स्थल के चारदीवारी लगवाये जाने पर विचार।

श्री छगनलाल, सदस्य ने बताया कि वार्ड नं. 16 में छावनी में बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास पालिका द्वारा पीट बना हुआ है, जिसमें काफी गंदा पानी एकत्रित रहता है।। जिसकी दीवार टूटने व काफी नीची होने के कारण से गाय, सूअर आदि जानवर पड़ते रहते हैं। अतः इसकी चादीवार उंची करवायी जानी उचित होगी।

बाद विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त पीट स्थल के चारदीवारी लगवायी जाने व चारदीवारी उंची करवायी जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अन्य प्र.सं. 03:– पालिका क्षैत्र में दवाईयां, फिनाईल छिड़काव करवाने तथा साफ सफाई पर विचार।

श्री जयप्रकाश, सदस्य ने बताया कि जोन संख्या 03 में ठेका श्रमिक कम होने के कारण से सफाई व्यवस्था खराब हो रखी है। इस जोन में श्रमिक बढाये जाने अतिआवश्यक है। इसके अलावा सभी मण्डल सदस्यों द्वारा बताया गया, कि वर्तमान में काफी शहरों में डेंगू, मलेरिया रोग फैला हुआ है। इसलिए संपूर्ण शहर में दवाईयां, फिनाईल, कीटनाशक पाउडर का छिड़काव करवाया जाना आवश्यक है।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जोन संख्या 03 में स्वीकृत दरों पर वर्तमान में कार्यरत ठेकेदार से 05 श्रमिक वित्त वर्ष की समाप्ति तक ओर लिये जाकर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करवायी जावे, इसके साथ ही बजट में दवाईयों/फिनाईल, कीटनाशक पाउडर क्रय हेतु जितनी राशि स्वीकृत की हुयी है, उसमें से जितना व्यय हो गया है, उसके अतिरिक्त उपलब्ध शेष राशि अनुसार उपयोग में ली जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा अविलम्ब उक्त सामान क्रय किया जाकर शहर में छिड़काव करवाया जावे। इसके अलावा मण्डल द्वारा पालिका क्षैत्र में सफाई व्यवस्था निरीक्षण हेतु श्रीमती मोनू शर्मा, श्री रूड़मल सैनी व श्री शम्भूदयाल की कमेटी बनायी जाती है। उक्त कमेटी आवश्यकता होने पर सफाई निरीक्षण हेतु पालिका जीप का उपयोग कर सकेगी तथा नियमित रूप से सफाई निरीक्षण कर अपनी रिर्पोट अध्यक्ष व उपाध्यक्ष महोदय को रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।

अन्य प्र.सं. 04:— पालिका संपत्ति का लैंड बैक बनाये जाने पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पालिका की जमीनों की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः इसके लिए पालिका द्वारा जमीनों की जानकारी जुटाई जाकर लैण्ड बैंक बनाया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि इस संबंध में पालिका के पूर्व कार्मिक श्री मातादीन शर्मा की कंसलटेन्ट के तौर पर सेवायें ली जाकर तथा अन्य स्त्रोतों से जानकारी एकत्रित कर यथाशीघ्र लैण्ड बैंक तैयार करवाया जावे।

अन्य प्र.सं. 05:— नामान्तकरण संबंधित पत्रावली पर विचार।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि डॉ0 हीमेश भटनागर, सदस्य ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, कि पूर्व में पालिका में नामान्तकरण करवाये जाने पर पालिका द्वारा शुल्क की जारी की जाने वाली रसीद के पिछे ही नामान्तकरण के संबंध में अंकन कर दिया जाता था, कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता था। अतः वर्तमान की तरह ऐसे प्रकरणों में नामान्तकरण प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें शुल्क जमा कर रसीद के पिछे नामांतकरण का अंकन किया हुआ है, उनमें जमाशुदा शुल्क के आधार पर अब नामांतकरण प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

अन्य प्र.सं. 06 :— सुभाष मण्डी/इन्दिरा कॉलोनी स्कीम में अलॉट भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने के संबंध में विचार।

श्री महेन्द्र गोयल, नेता विपक्ष ने बताया कि पालिका द्वारा निलामी प्रक्रिया के तहत काफी वर्षों पूर्व सुभाष मण्डी/इन्दिरा कॉलोनी स्कीम के तहत लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये थे। लेकिन कुछ भूखण्डधारियों द्वारा अभी तक भी पट्टे नहीं लिये गये हैं तथा अब पट्टों की मांग की जा रही है। लेकिन अब वर्तमान में उक्त स्थानों पर रेल्वे लाईन से 100—150 फीट की दूरी छोड़कर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे उक्त भूखण्डधारियों को पट्टे जारी किये जाने में काफी परेशानी हो रही है। इस पर मण्डल द्वारा विचार किया जाना उचित होगा।

बाद विचार विमर्श कर मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि उक्त प्रकरणों में पूर्व निलामी प्रक्रिया के तहत आवंटित किये गये भूखण्डों के पट्टे तत्समय की आवंटन शर्तों के अनुसार जारी किये जावें तथा इन भूखण्डों में रेल्वे लाईन के वर्तमान नियमों के आधार पर जगह नहीं काटी जावे।

अध्यक्ष
नगरपालिका नीमकाथाना

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

क्रमांकःन0पा0नीम0/2015—16/ दिनांकः

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् उपशासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक(क्षेत्रीय)महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, नीमकाथाना।
5. माननीय श्री प्रेमसिंह बाजोर, विधायक महोदय, नीमकाथाना।
6. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
7. श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना।
8. श्रीमान् वार्ड पार्षद श्री/श्रीमती.. ....।
9. समस्त शाखा प्रभारी को पालनार्थ।
10. गार्ड पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना